सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 20 राँची, मंगलवार, 27 जनवरी, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

10 नवम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-59/2017-33691 (HRMS)–मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-238/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2068, दिनांक 27.04.2017 के माध्यम से उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-750, दिनांक 10.04.2017 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

मो० आलम के विरूद्ध आरोप पत्र में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया आरोप-

इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत प्रखण्ड बरियातु के विभिन्न पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 192 एवं वर्ष 2015-16 में 150 कुल 342 लाभुकों को इन्दिरा आवास स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त की राशि के रूप में कुल मो०-64,12,500/- (चौसठ लाख बारह हजार पाँच सौ) रू० की भुगतान आपने कर दी है। जो इंदिरा आवास के मार्गदर्शिका के खिलाफ है, क्योंकि प्रावधान के अनुसार गैर बी०पी०एल० धारी व्यक्ति को इंदिरा आवास का लाभ नहीं दिया जाना है। इस प्रकार आपके इस कृत्य से कुल मो०-64,12,500/- (चौसठ लाख बारह हजार पाँच सौ) रू० सरकारी राशि का अपव्यय हुआ है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10152, दिनांक 25.09.2017 द्वारा मो0 आलम से स्पष्टीकरण की माँग की गई। मो० आलम के पत्र, दिनांक 05.12.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। मो० आलम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक- 19, दिनांक 01.01.2018 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2255, दिनांक 15.09.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। अपने मंतव्य में उपायुक्त, लातेहार द्वारा मो० आलम के स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया ।

मो० आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-2820(HRMS), दिनांक 28.11.2018 द्वारा मो० आलम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-371, दिनांक 01.09.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-3429, दिनांक 01.06.2022 एवं स्मार पत्रों द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से विभागीय मंतव्य की माँग की गई, परन्तु मंतव्य अप्राप्त रहा ।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य अप्राप्त रहने पर मो0 आलम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-238/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD. AFTAB ALAM JHK/JAS/162	मो० अफताब आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-238/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियातु, लातेहार को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 20 - 50